

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

सूचना प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदनों के सम्बन्ध में मासिक सूचना का प्रारूप

क्र०सं०	विभाग का नाम	सूचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम	माह के लम्बित	प्रारम्भ में आवेदन	योग	माह में प्राप्त आवेदन	कुल विचाराधीन आवेदन	माह में निस्तारण	अवशेष		योग
			30 दिन के अन्दर	30 दिन के ऊपर	योग				30 दिन के अन्दर	30 दिन के ऊपर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	सिंचाई विभाग	श्री सजय कुमार अधीक्षण अभियन्ता प्र०सु०प्र० सि०वि०, उ०प्र० लखनऊ	-	-	-	26	25	25	00	00	00


नोट - एक पत्र मूलरूप में आवेदक को वापस ।


 07.5.2018
 अधीक्षण अभियन्ता एवं
 जनसूचना अधिकारी, सि०वि०
 सि०वि०

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

सूचना प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदनों के सम्बन्ध में मासिक सूचना का प्रारूप

क्र०सं०	विभाग का नाम	अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम	माह के लम्बित अपीलयी पत्रों की सं०		योग	माह में प्राप्त अपीलीय पत्र	कुल विचाराधीन अपीलय पत्र	माह में निस्तारित अपीलीय पत्र	अवशेष		योग
			30 दिन के अन्दर	30 दिन के ऊपर					30 दिन के अन्दर	30 दिन के ऊपर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	सिंचाई विभाग	श्री शैलेंद्र मुख्य अभियन्ता, अनुराधान एवं नियोजन सि०वि० लखनऊ	00	00	00	08	08	वर्तमान के 05 पूर्य के अवशेष 00 योग- 05	03	00	03


 07-5-2018
 † अधीक्षण अभियन्ता एवं
 जनसूचना अधिकारी, सि०वि०
 7/5/18

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग द्वारा लोक प्राधिकरणों में नामित सूचना अधिकारियों पर आरोपित अभिरोपित शारिर् (दण्ड) का विवरण।
जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ

क्र. सं.	विभाग का नाम	जनसूचना अधिकारी का विवरण जिसके विरुद्ध दण्ड पारित किया गया	दण्ड पारित करने का दिनांक	दण्ड में निहित धनराशि रुपये	पारित दण्ड के विरुद्ध विभाग द्वारा वसूल की गई धनराशिकी अद्यतन स्थिति	विभाग द्वारा जन सूचना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति (यदि कोई हो)	पारित दण्ड के बारे में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सिंचाई विभाग	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त) मुख्य अभियन्ता (सोन)	वाद संख्या- एस. 8/684 / सी / दिनांक 28.06.10	25000.00	-	-	-	इस कार्यालय के पत्र-709 /दि. 1-8-11 पत्रक-1587 /दिनांक 12-10-12 एवं पत्रक-1120 / प्रसुप्र /दिनांक 7.6.13 के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता (सोन)को पत्र लिखा गया है एवं श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांकसी-15 / एकेएसआरई /दिनांक 15.5.2013 एवं पत्रक नि-1564 / सोन /दिनांक 13.6.13 के माध्यम से उक्त अभिरोपित अर्धदण्ड माफ किये जाने हेतु मा.0 राज्य सूचना आयोग से अनुरोध किया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक-1318 / प्रसुप्र /दिनांक 01.07.2013 एवं पत्रांक-1564 / प्रसुप्र / शारिर् /दिनांक 07.08.2013, पत्रक 285 / प्रसुप्र /दिनांक 5.3.2014, पत्रक-1350 / प्रसुप्र /दिनांक 20.10.14 एवं पत्रक-237 / प्रसुप्र /दिनांक 11.3.15 के माध्यम से वसूली / अद्यतन स्थिति हेतु पुनः पत्र लिखा गया है।
2	सड़क	अजयवती अभियन्ता श्रेणी स्वयं गोरखपुर	वाद संख्या एस. 11-2824 / सी / 10/11	25000.00	-	-	-	इस कार्यालय के पत्रक 443 /दि. 31.5.12 एवं पत्रक- 599 / दिनांक 01.12. 11 एवं पत्रक- 1196 / प्रसुप्र /दिनांक 10.01.13, पत्रक- 1335 / प्रसुप्र / दिनांक 06.07.2014, पत्रक- 1506 / प्रसुप्र / दिनांक 29.07.14

							2014/एन/753/ प्रसुप्र/ दिनांक 13.9.13 पत्रांक 310/ प्रसुप्र/ दिनांक 6.3.2014, पत्रांक 1349/ प्रसुप्र/ दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 241/ प्रसुप्र/ दिनांक 12.3.15के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु निर्दिष्ट किया गया है ।
3	तदैव	अधिकासी अभियन्ता फतेहपुर खड निचली गंगा नहर फतेहपुर	वाढ संख्या- एस7- 2705 दिनांक 10.06.11	25000.00	=	=	इस कार्यालय के पत्रांक-593/ प्रसुप्र/ दि० 28.2 12, पत्रांक 1597/ प्रसुप्र/ दिनांक 12.10. 12, पत्रांक 352/ दि० 15.2.13, पत्रांक 440/ प्रसुप्र/ दिनांक 27.2.13, पत्रांक 709 / प्रसुप्र/ दिनांक 3.4.13, पत्रांक 1137/ प्रसुप्र/ दिनांक 10. 6.13, पत्रांक 1319/ प्रसुप्र/ दिनांक 01.07. 2013, पत्रांक 1565/ प्रसुप्र/ दिनांक 07.08. 2013, पत्रांक 1784/ प्रसुप्र/ दिनांक 18 सितम्बर, 2013, पत्रांक 308/ प्रसुप्र/ दिनांक 6.3. 2014, पत्रांक-1352/ प्रसुप्र/ दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 235/ प्रसुप्र/ दिनांक 11.3.15के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु निर्दिष्ट किया गया है ।
4	तदैव	अधिकासी अभियन्ता फतेहपुर खड निचली गंगा नहर फतेहपुर	वाढ संख्या- एस.7- 653/ / सी/ 09 दिनांक 03.10.12	25000.00	=	=	इस कार्यालय के पत्रांक-593/ प्रसुप्र/ दि० 28.2 12, पत्रांक 1597/ प्रसुप्र/ दिनांक 12.10. 12, पत्रांक 352/ दि० 15.2.13, पत्रांक 440 / प्रसुप्र/ दिनांक 27.2.13 एवं पत्रांक 709 / प्रसुप्र/ दिनांक 3.4.13, पत्रांक 1137/ प्रसुप्र/ दिनांक 10.6.13, पत्रांक 1319/ प्रसुप्र/ दिनांक 01.07.2013, पत्रांक 1565/ प्रसुप्र/ दिनांक 07.08.2013, पत्रांक 308/ प्रसुप्र/ दिनांक 6.3.2014, पत्रांक-1352/ प्रसुप्र/ दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 235/ प्रसुप्र/ दिनांक 11.3.15 के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु निर्दिष्ट किया गया है ।
5	तदैव	अधिकासी अभियन्ता सिंधु खण्ड 49 परासीपुर सुल्तानपुर	वाढ संख्या- एस 7- 719 / सी/ 10 दिनांक 19.04.12	25000.00			अधिकासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक 87/ पहासखंड-49सु०/ दिनांक 11.1.13 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि खंड दण्ड की माफी हेतु दिनांक 1.11.12 के माध्यम से माफ अग्राम से अपील की गयी है एवं इस कार्यालय के पत्रांक- 820/ प्रसुप्र/ दिनांक 22.4. 13, पत्रांक 1122/ प्रसुप्र/ दिनांक 7.8.13 पत्रांक 1131/ प्रसुप्र/ दिनांक 07.07.2013 पत्रांक 1526/ प्रसुप्र/ दिनांक 17.08.2013, पत्रांक

						1785/प्रसुप्र/दिनांक 08 सितम्बर 2013, 806/प्रसुप्र/दिनांक 8.3.2014, पत्रांक-1350/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 233/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से अधिरोपित दण्ड की अद्यतन स्थिति हेतु निर्दिष्ट किया गया है।
6	तदैव	श्री बी०पी० सिंह अधिवासी अभियन्ता सिंवाई खण्ड द्वितीय कुशीनगर	वाद संख्या- एस 4-687 / सी / 11 दिनांक 02.02.12	25000.00	मा० उच्च न्यायालय इलाहाबादके आदेश दिनांक 29.4 13 द्वारा दण्ड स्थगित।	अधिवासी अभियन्ता सिंवाई खण्ड द्वितीय कुशीनगर कोडस कार्यालय के पत्रांक 1400/प्रसुप्र/दिनांक 30.9.12, 1511/प्रसुप्र/दिनांक 26.9.12, पत्रांक 819/प्रसुप्र/दिनांक 24.4.13, पत्रांक 1134/प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13, पत्रांक 1333/प्रसुप्र/दिनांक 03.07.2013 एवं के माध्यम से उक्त अधिरोपित दण्ड की वसूली हेतु सम्बन्धित को निर्दिष्ट किया गया है। मुख्य अभियन्ता, (गण्डक) सि०वि० गोरखपुर द्वारा उक्त पत्रांक 3316/मु०अ०गो०/दिनांक 02.05.2013 द्वारा सूचित किया गया है कि मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उक्त वसूली के विरुद्ध दिनांक 29.4.2013 को स्थगन आदेश पारित किया गया है।
7	तदैव	श्री आर पी मौलम अधिवासी अभियन्ता सिंवाई खंड हाथरस	वाद संख्या- एस 10 -2017 / सी / 11 दिनांक 01.12.11	25000.00	दण्ड वसूल	अधीक्षण अभियन्ता सिंवाई कार्य मण्डल मथुरा द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप सं०-2547 /सिकामम/दिनांक 20.3.13के माध्यम से अधिरोपित धनराशि की कटौति सम्बन्धित अधिवासी अभियन्ता के वेतन से कर ली गयी है एवं उक्त धनराशि को राजकोश में जमा कराकर रसीद की छायाप्रति वासन एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-1123/प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13, पत्रांक 1337/प्रसुप्र/दिनांक 04.07.2013, पत्रांक 1566/प्रसुप्र/दिनांक 07.08.2013 एवं के माध्यम से निर्दिष्ट किया गया है।
8	तदैव	श्री राजाराम अधिवासी अभियन्ता केन -1012 प्रखण्ड नो०	वाद संख्या एस 4-20/ सी/11 दिनांक 17.05.12	25000.00		अधिवासी अभियन्ता केन नगर प्रखण्ड नो० को इस कार्यालय के पत्रांक 1121 /प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13 एवं पत्रांक 1336/प्रसुप्र/दिनांक 04.07.2013, पत्रांक 1569/प्रसुप्र/दिनांक 07.08.2013, पत्रांक 1453/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.2013, पत्रांक 309/प्रसुप्र/दिनांक 8.3.2014 एवं पत्रांक 238/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से अधिरोपित दण्ड की अद्यतन स्थिति हेतु

